13.8.25. पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०/
प्रतिवादी अनु०। तहसीलदार बराड़ की
ओर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील
वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने
आदेश स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में
निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो। WB

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई) अजमेर(
व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)
<u>वाद क्रमांक 103/2023</u>

1. कालू पुत्र मुकना
2. रोडू पुत्र मुकना
3. नाथू पुत्र सुगना
4. बद्री पुत्र घीसा
5. श्रीकिशन पुत्र घीसा
6. बिशन पुत्र घीसा
7. शिवराज पुत्र छोटू
8. भागचन्द पुत्र छोटू

समस्त जाति बलाई समस्त निवासीगण ग्राम कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
– प्रार्थीगण

बनाम

1. शैतान पुत्र रामदेव बटेसर जाति जाट
2. नारायण पुत्र रोडू बटेसर जाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, अरांई

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 13/8/24

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री अशोक शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाकै ग्राम कटसूरा तहसील अराई जिला अजमेर मे खसरा संख्या 1973 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/1 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के उक्त भूमि के समीप ही अप्राथीगण संख्या 1 लगायत 2 के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम कटसुरा के खसरा संख्या 1974 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1981 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 1982 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है।प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि को जौत, सिचाई के प्रयोजन के लिये, एवं कृषि भूमि पर जाने के लिये किसी प्रकार का कोई रिकॉडेड मार्ग / रास्ता नही है।प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में जौत, सिंचाई के प्रयोजन के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1974 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1981 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 1982 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा से लगती हुई सींव, मेड से भूमि का उपयोग करके अपने खातेदारी के खेत मे जाते है तथा अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1974 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1981 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 1982 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की भूमि में से सींव, मेड के सहारे अपने खेत मे जाते है उक्त रास्ते को नक्शा ट्रैस मे लाल स्याही से दर्शित किया गया है प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को उपयोग उपभोग मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 स्वंय जरिये नौकर चोकर, एजेण्ट बाधा कारित करते है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की जौत, सिंचाई के प्रयोजन के लिये सबसे करीब रास्ता अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 1974 रकबा

W

2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1981 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 1982 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की भूमि में से सींव, मेड के सहारे जिसे राजस्व नक्शा ट्रैस मे लाल स्याही से दर्शित किया गया है सबसे करीब रास्ता है जो अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर जाता है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर उक्त मार्ग बनाना चाहते है प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रार्थीगण राजस्व नक्शा ट्रैस मे दर्शित लाल स्याही से दर्शित मार्ग से ही अपने खातेदारी के खेत मे आते जाते है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में स्थित जोतो के उपयोग उपभोग के लिये व कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1974 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1981 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 1982 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की भूमि में से 18 फीट का चोडा रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया है।

1. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 09.10.2020 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 13.8.2025 को तहसीलदार अराई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई ने अंकित किया कि भूमि ग्राम कटसूरा तहसील अराई जिला अजमेर मे खसरा संख्या 1973 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/1 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में आवागमन के लिये खसरा संख्या 1974 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1981 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 1982 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की भूमि में से रकबा 0.0426 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जायेगी जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 920000रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार मूल्य 44676/— जिसकी दुगुना राशि 89360/— नवासी हजार तीन सो साठ रूपये होगी । वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है ।

हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:—

—: आदेश :—

1. प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी की भूमि में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये रास्ते की अतिआवश्कता है, प्रार्थी की ग्राम कटसूरा तहसील अराई जिला अजमेर मे खसरा संख्या 1973 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/1 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में आवागमन के लियें में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कटसूरा तहसील अराई जिला अजमेर मे खसरा संख्या 1973 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/1 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में आवागमन ख0नं0 1974,1982,1981 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम कटसूरा तहसील अराई जिला अजमेर मे खसरा संख्या 1973 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/1 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 2001/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में आवागमन के लिये में से रास्ते हेतु रिपोर्ट क्रमांक 4855 दिनांक 13.8.2025 के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि तक पहुचने हेतु रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली 18 फीट भूमि का ब्यौरा :—

खसरा नं0 1974 में (198 वर्ग0मी0) 0.0138 हैक्ट0 डीएलसी दर से राशि 18180/—
खसरा नं0 1982 में (264 वर्गमी0)0.0264 हैक्ट0 डीएलसी दर से राशि 24288/—
खसरा नं0 1981 में (24 वर्गमी0)0.0024 हैक्ट0 डीएलसी दर से राशि 2208/—

2. तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट में 18 फीट चोडे रास्ते के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 920000रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार मूल्य 44676/– जिसकी दुगुना राशि 89360/– नवासी हजार तीन सो साठ रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0426 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 89360/– नवासी हजार तीन सो साठ रूपये तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2025/4855 दिनांक 13.8.2025 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0426 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)